

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1839

दिनांक 23/08/2022

प्रार्थी :-

1.भीमदान पुत्र चालकदान
जाति चारण, निवासी गांधीनगर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.टीकमसिंह पुत्र हरसिंह, जाति पुरोहित
निवासी खानू का तला , तहसील चौहटन
2.रफीक 3.गफूर पि.मतारा 4.राजी पत्नि इशाक
5.मजीद 6.सरीफ पि.इशाक 7.शकूर पुत्र इदा, जाति
मुसलमान, निवासी गांधीनगर 8.मीरमोहमदशाह पुत्र
उम्मेदअलीशाह 9.विलायत पुत्र अलीअकबरशाह
जाति मुसलमान, निवासी आलमसर 10.लूणदान
11.बलवंतदान 12.पदमदान पि.मंगलदान
13.जामदान पुत्र आसूदान 14.कैलाशदान पुत्र
महेशदान 15.महेशदान पुत्र बीजराजदान, जाति
चारण, निवासी आलमसर, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 84/2021

दिनांक : 23.08.2022

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र आलमसर के मौजा गांधीनगर के खेत खमरा सं. 872/477 रकबा क्रमशः 24.10 भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर

अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1840 to 1843

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी भीमदान
3. विप्रार्थीगण टीकमसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 23/08/22



(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन